न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश,प्रयागराज

प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र संख्या– 509 सन्– 2026

UPAD010047622026

पुष्पा उम्र लगभग 35 वर्ष पत्नी स्व० ब्रह्म सिंह, निवासिनी– ग्राम कटहुला गौसपुर, थाना एयरपोर्ट जनपद प्रयागराज।

––––––––––––प्रार्थिनी

बनाम

1. रोहित यादव पुत्र बलवन्त, निवासी– ग्राम शेरपुर, थाना एयरपोर्ट, जनपद प्रयागराज
2. रोहित यादव के दो मामा नाम पता अज्ञात

–––––––––विपक्षीगण

अन्तर्गत धारा– 173(4) बी.एन.एस.एस.
थाना–एयरपोर्ट, जनपद–प्रयागराज।

1. आवेदिका पुष्पा द्वारा प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. विपक्षीगण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके विवेचना कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थिनी के पति स्व० ब्रह्म सिंह का स्वर्गवास वर्ष 2023 में हो गया था तथा वह लोगों के खेत में मजदूरी करके अपना व अपने बच्चों का जीविकोपार्जन करती थी। इसी दौरान वर्ष 2024 में विपक्षी रोहित यादव से सम्पर्क हुआ और प्यार की बातें दो–चार दिन तक चलीं तब विपक्षी रोहित ने उससे शादी का वादा किया और कहा कि मैं तुमसे विवाह करके अपनी पत्नी बनाऊंगा और गंगा जी के किनारे जाकर गंगा मइया की कसम खाई तथा इसी विश्वास में उसने विपक्षी रोहित यादव से शारीरिक सम्बन्ध बनाये। विपक्षी रोहित यादव के दो मामा द्वारा दिनांक 11.03.2026 कटहुला गांव के प्रधान के यहां पंचायत बुलाया गया और कहा कि चमारिन मादरचोद तुम मेरे भांजे से दूर हो जाओ तुम चमार जाति की हो तुमसे शादी नहीं करेगा, उसके साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने की वीडियो और फोटो विपक्षी रोहित यादव ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। प्रार्थिनी ने उक्त घटना की सूचना थाना एयरपोर्ट में दिया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी तथा प्रार्थिनी ने दिनांक 22.04.2026 को उक्त घटना की सूचना जरिये रजिस्ट्री श्रीमान् पुलिस आयुक्त प्रयागराज को दिया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी। उपरोक्त कथनों को संकथित करते हुए वर्तमान प्रकरण के सम्बन्ध में थाना एयरपोर्ट, जनपद प्रयागराज में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने हेतु आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी है।

3. प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र, स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति, स्वयं के जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, श्रीमान् पुलिस आयुक्त को दिये गये प्रार्थनापत्र दिनांकित 22.04.2026 की छायाप्रति मय मूल डाक रसीद को संस्थित किया गया है।

4. प्रार्थिनी के प्रार्थनापत्र पर सम्बन्धित थाने से आख्या आहूत की गयी तथा थाने की आख्यानुसार प्रस्तुत प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में थाना हाजा के अभिलेखों में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

5. मैंने प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह परिलक्षित हो रहा है कि प्रार्थिनी/पीड़िता एवं विपक्षी एक–दूसरे से भली–भांति परिचित थे तथा उनके द्वारा आपसी सहमति से शारीरिक सम्बन्ध स्थापित किया जाना प्रतीत हो रहा है। प्रस्तुत प्रकरण में चूँकि प्रार्थिनी को घटना का दिनांक, समय, स्थान तथा सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी है जिसके संबंध में वह स्वयं साक्ष्य देने

में समर्थ है, अतः अन्वेषण की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *जोसेफ माधुरी एवं अन्य बनाम स्वामी सच्चिदानन्द हरिसाक्षी 2001 सप्लीमेंटरी एसीसी 957 व मुहम्मद यूनुस बनाम श्रीमती आफाक जहॉ व अन्य 2006 (1) एसीआरआर पेज 112 एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने रामबाबू गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य 2001 (43) ए0सी0सी0 50 (इलाहाबाद) व सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2007(59) ए0सी0सी0 739 (इलाहाबाद)* में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं. को मजिस्ट्रेट परिवाद के रूप में पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही कर सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में प्रतिपादित सिद्वान्तों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. को परिवाद के रूप में पंजीकृत कर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत होगा।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है। पत्रावली वास्ते बयान परिवादिनी अन्तर्गत धारा 223 बी.एन.एस.एस. दिनांक 03.09.2026 को पेश हो। धारा 223 बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों को दृष्गित रखते हुए विपक्षीगण को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस निर्गत हो, प्रार्थिनी अपेक्षित पैरवी अन्दर सप्ताह करे।

(कुमार मयंक)
दिनांक– जून 18, 2026 विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रयागराज
(जे.ओ.कोड यू. पी. 6278)

Digitally signed by KUMAR MAYANK
Date: 2026.06.18 16:40:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court